

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल
jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10654 / 2018

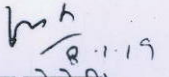
दिनांक :- 11.01.2019

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री शीतल गुप्ता [लिंक न. 10654] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर - [1110] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/04/2018 से 13/04/2018 तक 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री शीतल गुप्ता की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।
संलग्न :- सेवा पुस्तिका।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10654 / 2018

दिनांक :- 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री शीतल गुप्ता [10654] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)